भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3755
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 मार्च, 2017/3 चैत्र, 1939 (शक) को दिया गया)

स्टार्टअप हेतु स्वैट इक्विटी

3755. श्री भगवंत खुबा :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की स्टार्टअप हेतु स्वैट इक्विटी संबंधी सीमा को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को लागू करने की मंशा है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

(क) से (ख): इस मंत्रालय ने औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग द्वारा जारी की गई दिनांक 17.02.2016 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 100(अ) में यथापरिभाषित स्टार्ट-अप कंपनी को उसके निगमन या रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पांच वर्ष तक उसकी प्रदत्त शेयरपूंजी के अधिक से अधिक पचास प्रतिशत तक स्वैट इक्विटी शेयर जारी करने की अनुमति देने हेतु दिनांक 19.07.2016 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.704(अ) द्वारा कंपनी (शेयरपूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में संशोधन किया है।

*****